महिला विकास निगम, बिहार

(समाज कल्याण विभाग, बिहार)

द्वितीय तल, इंदिरा भवन, आर.सी.सिंह पथ, बेली रोड, पटना।

ईमेल–support@wdcbihar.org.in

राज्य के 07 जिलों में अल्पावास गृह के संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं से

अभिरूचि आमंत्रण

विभिन्न प्रकार की हिंसाओं से पीड़ित महिलाओं को अल्पकालीन आश्रय प्रदान करने हेतु महिला विकास निगम, बिहार द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनान्तर्गत जिला स्तर पर 25 बिस्तर की क्षमता वाले अल्पावास गृह की एक इकाई का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के 07 जिलों यथा– **मुंगेर, पूर्वी चंम्पारण, कैमूर, कटिहार,दरभंगा एवं बांका** के लिए 25 बिस्तर वाले तथा **पटना जिला** हेतु 50 बिस्तर वाले अल्पावास गृह के संचालनार्थ स्वयं सेवी संस्थाओं से अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा हैं, जिसके लिए निम्नलिखित अर्हत्ताएँ होना आवश्यक है :–

1. आवेदक संस्थाओं की निम्नलिखित अर्हत्ताएँ होगी:–

    1. संस्था, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, अथवा सोसायटी अधिनियम, 1860 के अधीन 03 वर्ष पूर्व से निबंधित हो।
    2. महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित आवासीय कार्यों/योजना संचालन का अनुभव अनिवार्य है।
    3. महिला संबंधित विषयों यथा घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानव पणन (मानव व्यापार), दहेज इत्यादि से संबंधित कार्य अनुभव हो।
    4. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो। विगत 03 वर्षो यथा वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 का औसत आवर्त (Torn over) कम से कम न्यूनतम 25 लाख रुपये हो।
    5. संस्था किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं की गई हो तथा ना हीं संस्था के किसी सदस्य़ के उपर न्यायालय द्वारा कोई मुकदमा तथा आरोप–पत्र सिद्ध हुआ हो।
    6. निगम अथवा किसी भी अन्य सरकारी संस्थान द्वारा संचालित किसी भी परियोजना/कार्यक्रम से पूर्व में कार्य मुक्त की गई संस्था आवेदन के पात्र नहीं होगी। कार्यमुक्त नहीं किये जाने संबंधी आशय शपथ–पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर संलग्न करना होगा।
    7. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अल्पावास गृह/रक्षागृह की दो ईकाई का संचालन करने वाली संस्था आवेदन के पात्र नहीं होगी।
    8. संस्था, आयकर अधिनियम 12ए के तहत निबंधित हो तथा विगत 03 वर्षों का आयकर वेतन दाखिल किया गया हो।
    9. संस्था नीति आयोग के पोर्टल (NGO Darpan) पर निबंधित हो।
    10. स्वयंसेवी संस्था के चयन में स्थानीय योग्य संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. प्रस्ताव के साथ कंडिका 01 में वर्णित अर्हत्ताओं से संबंधित दस्तावेज के साथ–साथ निम्नांकित अभिलेख / दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगाः–

क. संस्था की पृष्ठभूमि एवं परिचय।

ख. प्रस्तावित कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर दृष्टिकोण।

3. प्रकाशित विज्ञान के आलोक में संस्था के चयन हेतु 02 चरण निर्धारित किये गये हैंः–

- प्रथम चरण (तकनीकी रिव्यु)–स्वयं सेवी संस्थाओ द्वारा समर्पित प्रस्तावों की जाँच निगम द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। मार्गदर्शिका में वर्णित अर्हत्ताओं को पूर्ण करने वाली संस्था का चयन द्वितीय चरण हेतु किया जायेगा।
- द्वितीय चरण (अंक निर्धारण)–संस्था के चयन हेतु अंक निर्धारित किये गये हैं। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था का चयन अंतिम रूप से किया जायेगा। अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा–

क्रमांक	आधार	कुल अंक (अधिकतम)
1	प्रस्तुतीकरण (Power point)	15
2	कार्यानुभव	20
3	साक्षात्कार	15
	कुल अंक	50

ह० / –

प्रबंध निदेशक